[To be uploaded on CRCS website]

No. L-11012/02/2023-L&M
Government of India
Ministry of Cooperation
Office of Central Registrar of Cooperative Societies
******

9th Floor, Tower 'E', World Trade Centre,
Narouji Nagar, Safdarjung Enclave,
New Delhi 110029
Dated 30th April, 2026

ORDER

Subject: Panel of Auditors for the FY 2025-26 -reg.

In supersession of this office's earlier orders dated 21.09.2023, 03.10.2024 and 21.03.2025, a revised panel of Chartered Accountant (CA) firms is hereby notified for statutory and concurrent audits for the Financial Year 2025–26. The following panels are notified and enclosed which shall be applicable to all Multi-State Cooperative Societies (MSCSs) and Banks as per the following structure:

1. **Statutory Audit of Multi-State Cooperative Banks:** The panel as approved/empanelled by the Reserve Bank of India (RBI) for Commercial Banks/ UCBs, as updated from time to time.
2. **Panel for Statutory Audit of MSCSs (other than Banks)**: A consolidated panel of CA firms (enclosed as Annexure A) consisting of list of 9248 CA firms.
3. **Panel for Concurrent Audit of all MSCSs including Banks: A** consolidated panel of CA firms (enclosed as Annexure B) consisting of list of 33,375 CA firms.

2. The MSCSs can choose from the respective panel and appoint the auditors for regular and concurrent audit subject to following conditions:

i. If an auditor has been appointed for the financial year 2025–26 prior to the issuance of this order and such auditor does not appear in the present panel, the appointment shall be deemed valid until the completion of the term, provided that the auditor was empanelled under the panel previously issued by this office.
ii. The present panel shall also be applicable for the financial year 2026–27 and shall remain in force until a revised panel is issued.
iii. The restriction requiring selection of statutory and concurrent auditors from the *district* of the society's head office is hereby relaxed; auditors can now be selected from the entire *State* where the head office is located.
iv. Qualification and disqualification of auditors shall be as per Section 72 of the MSCS Act, 2002.
v. A person/firm is not eligible to be appointed as auditor for an MSCS, if he or any of his relatives (relative as defined in Section 41 of MSCS (Amendment) Act, 2023) has interest or business relationship (other than auditing) or hold shares or have outstanding loan or is in any kind of employment relationship with that MSCS or its subsidiary.

vi. Any auditor convicted of an offence involving fraud within the last ten years shall not be eligible.

vii. All MSCSs are required to report the appointment of auditors on the CRCS portal (https://crcs.gov.in) within one month of such appointment.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Anand Kumar Jha) 30/4/26
Joint Secretary &
Central Registrar of Cooperative Societies

To,

All Multi-State Cooperative Societies/ Banks.

Copy to:

1. PSO to Secretary (Cooperation).
2. The Deputy Comptroller & Auditor General, Pocket-9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110124
3. The Regional Director, Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, New Delhi - 110 001
4. The Chairperson, Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, Post Box No. 7100, New Delhi - 110 002 Computerization team for uploading on the website.
5. Guard file.

[CRCS वेबसाइट पर अपलोड हेतु]

संख्या: L-11012/02/2023-L&M
भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
(केंद्रीय पंजीयक,सहकारी समितियों का कार्यालय)
*****

9वीं मंजिल, टॉवर 'E', वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली – 110029
दिनांक: - 30 अप्रैल, 2026

आदेश

विषय: वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लेखा परीक्षकों (Auditors) का पैनल – संबंधी।

इस कार्यालय के पूर्व आदेशों दिनांक 21.09.2023, 03.10.2024 एवं 21.03.2025 के अधिलेखन (supersession) में, वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वैधानिक (Statutory) तथा समवर्ती (Concurrent) लेखा परीक्षण के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) फर्मों का संशोधित पैनल एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है। निम्नलिखित पैनल अधिसूचित एवं संलग्न हैं, जो सभी बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCSs) तथा बैंकों पर निम्नानुसार लागू होंगे:

1. **बहु-राज्य सहकारी बैंकों का वैधानिक लेखा परीक्षण:**
   भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वाणिज्यिक बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) हेतु अनुमोदित/पैनल में शामिल फर्मों का पैनल, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

2. **बैंकों के अतिरिक्त MSCSs के वैधानिक लेखा परीक्षण हेतु पैनल:**
   चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों का समेकित पैनल (संलग्नक 'A'), जिसमें 9248 CA फर्मों की सूची सम्मिलित है।

3. **सभी MSCSs (बैंकों सहित) के समवर्ती लेखा परीक्षण हेतु पैनल:**
   चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों का समेकित पैनल (संलग्नक 'B'), जिसमें 33,375 CA फर्मों की सूची सम्मिलित है।

2. पैनल से लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शर्तें:

सभी MSCSs संबंधित पैनल से लेखा परीक्षकों का चयन कर नियमित एवं समवर्ती लेखा परीक्षण हेतु नियुक्ति कर सकते हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. यदि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए इस आदेश के निर्गमन से पूर्व किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है तथा उसका नाम वर्तमान पैनल में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी नियुक्ति उसकी अवधि पूर्ण होने तक वैध मानी जाएगी, बशर्ते कि वह लेखा परीक्षक इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पैनल में सूचीबद्ध था।
2. वर्तमान पैनल वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए भी लागू रहेगा तथा संशोधित पैनल जारी होने तक प्रभावी रहेगा।

3. समिति के प्रधान कार्यालय के जिले से ही लेखा परीक्षक चयन करने की बाध्यता को शिथिल किया जाता है; अब लेखा परीक्षक का चयन उस राज्य के किसी भी जिले से किया जा सकता है, जहाँ समिति का प्रधान कार्यालय स्थित है।
4. लेखा परीक्षकों की योग्यता एवं अयोग्यता, MSCS अधिनियम, 2002 की धारा 72 के अनुसार निर्धारित होगी।
5. किसी व्यक्ति या फर्म को किसी बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) का लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता, यदि वह स्वयं या उसका कोई संबंधी (जैसा कि MSCS (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 41 में परिभाषित है) उस समिति या उसकी सहायक संस्था में लेखा परीक्षण (ऑडिट) के अतिरिक्त कोई हित या व्यावसायिक संबंध रखता हो, या उसके शेयर धारक हो, या उस पर कोई बकाया ऋण हो, अथवा किसी भी प्रकार के रोजगार संबंध में हो।
6. पिछले दस वर्षों के भीतर धोखाधड़ी (Fraud) से संबंधित किसी अपराध में दोषसिद्ध (convicted) कोई भी लेखा परीक्षक पात्र नहीं होगा।
7. सभी MSCSs को लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की सूचना CRCS पोर्टल (https://crcs.gov.in) पर नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर देना अनिवार्य होगा

आनन्द कुमार झा 30/4/26

(आनंद कुमार झा)
संयुक्त सचिव एवं
केंद्रीय पंजीयक, सहकारी समितियों

प्रति,

सभी बहु-राज्य सहकारी समितियाँ/ बैंक।

प्रतिलिपि:

1. पीएसओ, सचिव (सहकारिता)
2. उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पॉकेट-9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली – 110124
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001
4. अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (ICAI), ICAI भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 7100, नई दिल्ली 110002
5. कंप्यूटरीकरण प्रकोष्ठ – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. अभिलेख हेतु (Guard File)